

आदेश

गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के संकल्प संख्या-6617, दि० 24.06.2019 के अनुपालन के फलस्वरूप गया जिला बल में पदस्थापित निम्नांकित पुलिस पदाधिकारियों को विशेष परिस्थिति में प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुये उनके नाम के सामने अंकित इकाई में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-


क्र०	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	स्थानान्तरित इकाई
01	श्री रामाज्ञया राय	पुलिस निरीक्षक	आर्थिक अपराध इकाई
02	श्री शिवकुमार महतो	पुलिस निरीक्षक	आर्थिक अपराध इकाई
03	श्री सुवित कुमार	पुलिस निरीक्षक	विशेष शाखा
04	श्री उमेशवन्द	पुलिस निरीक्षक	विशेष शाखा
05	श्री विपिन कुमार मिश्रा	पुलिस निरीक्षक	अपराध अनुसंधान विभाग
06	श्री आशुतोष कुमार	पुलिस निरीक्षक	अपराध अनुसंधान विभाग
07	श्री जवाहर प्रसाद यादव	पुलिस निरीक्षक	अपराध अनुसंधान विभाग
08	श्री अजीत कुमार	पुलिस अवर निरीक्षक	विशेष शाखा
09	श्री राजीव कुमार	पुलिस अवर निरीक्षक	विशेष शाखा
10	श्री रामाकान्त तिवारी	पुलिस अवर निरीक्षक	विशेष शाखा
11	श्री परमानन्द प्रभाकर	पुलिस अवर निरीक्षक	अपराध अनुसंधान विभाग
12	श्री प्रमोद सिंह	पुलिस अवर निरीक्षक	अपराध अनुसंधान विभाग

02. पुलिस मुख्यालय आदेश सह ज्ञापांक-423/439152/पी०-1 दि० 02.09.2019 के क्रम संख्या-12 पर अंकित श्री शिवकान्त झा, पुलिस अवर निरीक्षक के वर्तमान पदस्थापन को अपराध अनुसंधान विभाग के बदले विशेष शाखा पढ़ा जाय। शेष यथावत् रहेंगे।

03. उपरोक्त तालिका में अंकित पुलिस पदाधिकारियों को उनके नव पदस्थापन कार्यालय में योगदान देने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, गया दिनांक 12/09/2019 तक अनिवार्य रूप से विरमित कर देंगे।

03. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार

  
पुलिस महानिरीक्षक(मुख्यालय),  
मृणाल बिहार, पटना।

ज्ञापांक 436/439890 / पी०-1


4-9-01-2017

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 06.09.2019

प्रतिलिपि:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा/आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. वरीय पुलिस अधीक्षक, गया/पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई/अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. प्रशाखा पदाधिकारी, पी०-2 प्रशाखा, पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. आई०टी० प्रबंधक, पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

  
पुलिस महानिरीक्षक(मुख्यालय),  
बिहार, पटना।